

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 281/2023 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

पार्वती पत्नी नोरंगलाल जाति मेघवाल निवासी बीरबाना तहसील सुरतगढ़ जिला  
श्रीगंगानगर हाल पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादीया

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) पल्लू, तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री दयालाराम भाटी वकील-वादी  
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 10/11/2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री दयालाराम भाटी वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व पल्लू उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि चक 15 एनडब्ल्यूडी के प. नं. 155/28(43) कि.नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23/3 की 2. 100 है. में से 1/2 हिस्सा में दर्ज वादीया का नाम पारोदेवी पत्नी नोरंगलाल के स्थान पर पार्वती पत्नी नोरंगलाल दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तखा एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10/11/2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

